

**उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)**

द/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
21/17 वादी	88, 89, 91, 53, 188 A+ 136 धारा	छोडी	छबड़ा
	वाद शीर्षक		प्रतिवादी
	रामबाबू	बनाम	केलाश

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
29/17	वकील श्री द्वारा एक नए अंतर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 188 A+ 136 धारा के प्रतिवादी के द्वारा न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रमाण साधन प्रतिवादी को तलब कर प्रकरण दिनांक 27/17 को करा है।	
27/17	आप पीटारीत अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकरण स्थिति में दिनांक 21/17 को करा है।	12/17 का रक
8/17	वकील श्री अरुण प्रतिवादी 1 ता 9 के सम्पन्न 913 तारीख से न्यायिक पत्रावली है, प्रतिवादी 1 ता 8 की कोर से 300 डीपक वमी 150 वक बमालतनाज पेश हुआ, वास्ते जजग डि. 18.12.17 को करा है।	
18/17	आप पीटारीत अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकरण स्थिति में दिनांक 22-1-18 को करा है।	28/18
19/17	आप पीटारीत अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकरण स्थिति में दिनांक 12-3-18 को करा है।	दिनांक 19-2-18 को पेश है।
9/17	वकील श्री अरुण प्रतिवादी 1 ता 9 के सम्पन्न 913 तारीख से न्यायिक पत्रावली है, प्रतिवादी 1 ता 8 की कोर से 300 डीपक वमी 150 वक बमालतनाज पेश हुआ, वास्ते जजग डि. 18.12.17 को करा है।	दिनांक 9-4-18 को करा है।
9/17	वकील श्री अरुण प्रतिवादी 1 ता 9 के सम्पन्न 913 तारीख से न्यायिक पत्रावली है, प्रतिवादी 1 ता 8 की कोर से 300 डीपक वमी 150 वक बमालतनाज पेश हुआ, वास्ते जजग डि. 18.12.17 को करा है।	कार्यालय बारां

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

दि.

24.9.24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 24.9.24 को पेश हो।

114  
रीडर  
न्यायालय सप्लाय अधिकारी  
अबड़ा (बारा)

6.11.24

पत्रावली पेश हुई। कृपया मरीकेन उपर) साक्ष्य प्रतिवादी उपर नहीं है। Rs. 200/- को अतिरिक्त अवसर दिया जाता है आपन्दा साक्ष्य प्रतिवादी उपर नहीं होने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्ध कर दिने जायेगा। पत्रावली वाले साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 3.12.24 को पेश हो।

✍

3-12-24

पत्रावली पेश हुई। नकली जारी व स्वयं जारी उप-नवी ही नकली जारी व स्वयं जारी को वीग काउ आकाश लगाकर गरी कावगुं प्रन्व के न्यायालय में अगली ही अतः जारी का वाद अदम्य दायरी अदम्य पेशी के कसिद खिमा जाना ही पत्रावली पेश अगत होकर वाद नकली नकली के दाखिले दफ्तर हो।

✍